भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *189

जिसका उत्तर 23 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है।

2 पौष, 1944 (शक)

निजी संस्थाओं द्वारा एकत्र किए गए आधार डेटा के लिए सुरक्षा उपाय

***189. श्री मोहम्मद नदीमुल हक**:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आधार का केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिए) निजी संस्थाओं द्वारा किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उनके सर्वर में डेटा असीमित समय सीमा के सात एकत्र और संग्राहीत रहता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उस डेटा को इन निजी संस्थाओं के माध्यम से बेचे जाने या उसे लीक होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा कोई नियम या निर्देश बनाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इन निजी संस्थाओं द्वारा आधार डेटा की सुरक्षा में चूक होने की स्थिति में सरकार द्वारा कोई दायित्व या जुर्माना तय किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से **(घ)** : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

निजी संस्थाओं द्वारा एकत्र किए गए आधार डेटा के लिए सुरक्षा उपाय के संबंध में दिनांक 23.12.2022 को
राज्य सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. *189 के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र

******

(क): जी, हाँ । ई-केवाईसी सहित आधार प्रमाणीकरण सेवाएं सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती हैं । ऐसी संस्थाओं में दूरसंचार सेवा प्रदाता, बैंक, ई-साइन सेवा प्रदाता और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत विनियमित संस्थाएं शामिल हैं।

(ख): जी, नहीं । आधार (प्रमाणीकरण और ऑफ़लाइन सत्यापन) विनियम, 2021 के अनुसार अनुरोधकर्ता संस्थाओं को दो साल की एक अवधि के लिए प्रमाणीकरण लेनदेन के लॉग को संग्रहीत रखने की आवश्यकता होती है, जिसके बाद लॉग को पांच वर्षों की अवधि के लिए या संस्था को नियंत्रित करने वाली विधियों या विनियमों द्वारा यथापेक्षित वर्षों तक, जो भी बाद में हो, संग्रहीत करने की आवश्यकता होती है। ऐसी अवधि की समाप्ति पर, न्यूनतम किसी उच्च न्यायालय के आदेशानुसार रखे जाने वाले या किसी लंबित विवाद के लिए आवश्यक अभिलेखों को छोड़कर, शेष लॉग को हटा दिया जाना चाहिए ।

(ग) और (घ): जी, हाँ । आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 में यह उपबंधित है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, पहचान जानकारी की सुरक्षा करने के साथ-साथ सूचना के साझा करने संबंधी प्रतिबंध सुनिश्चित करेगा तथा उसके अधिकार या नियंत्रणाधीन सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐसी सूचना जिसे अधिनियम अथवा इसके तहत बनाये गये विनियम के अंतर्गत ऐक्सेस करने की अनुमति नहीं है, के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। इसमें अधिनियम के उपबंधों का पालन न करने पर दंड की भी व्यवस्था की गई है ।

****